शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वा.मूल्या.–पुनःपरीक्षा/2022–23/3845 भोपाल, दिनांक 06/06/2023

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय– पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 सत्र 2022–23 महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय–सारणी।

संदर्भ– 1. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/5–8 वार्षिक परीक्षा/2022–23/7580, दिनांक 23.05.2023
2. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/5–8 वार्षिक परीक्षा/2022–23/7582, दिनांक 23.05.2023
3. राशिके का पत्र क्र./परीक्षा/2022–23/1173, दिनांक 27.02.2023
4. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/5330, दिनांक 12.09.2022

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022–23 के परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन/अंकों की पुनर्गणना/पुनर्प्रविष्टि का कार्य किया गया। संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदाय कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5 व 8 पुनः परीक्षा सत्र 2022–23, **दिनांक 22 से 28 जून 2023** की अवधि में संलग्न समय–सारणी अनुसार आयोजित की जाना है।

परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्राप्त विभिन्न विसंगतियां को सुधारने एवं पुनःपरीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022–23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं–

1. **प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि–** ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किन्तु प्रोजेक्ट कार्य में 07 से कम अंक (1 से 7 अंक) होने के कारण अनुत्तीर्ण हैं ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए तत्पश्चात् पुनःमूल्यांकित प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्यतः करवाई जाए। ध्यान रहे कि 10 जून के पश्चात् पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी।
2. **गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा–** ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अंकसूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बी.आर.सी.

Digieduportal

कार्यालय में दिनांक 7 से 8 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, बी.आर.सी. आवेदनों/दस्तावेजों का परीक्षण करने उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के साथ डी.पी.सी. को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डी.पी.सी. अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय में सुधार कर सकेंगे।

3. **अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि–** परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किन्तु अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने, शून्य अंक अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हैं, केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बी.आर.सी. को अर्द्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बी.आर.सी. दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार करने हेतु डी.पी.सी. को भेजेंगे अथवा लॉगइन से सुधार की कार्यवाही 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन की संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बी.आर.सी. कार्यालय में संधारित की जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हैं, उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाएं। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के आवेदन स्वीकार न किए जाएं।

4. **पुनःपरीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र–** कक्षा 5 व 8 पुनःपरीक्षा के परीक्षा केन्द्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केन्द्र हेतु 500 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जा सकेगा।

5. **शालाओं की परीक्षा केन्द्र से मैपिंग–** शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगइन पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र देख सकेंगे। संबंधित बी.आर.सी.सी. का यह दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुखों से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बी.आर.सी.सी. के लॉगइन से इसे 10 जून 2023 तक सुधार किया जा सकेगा।

6. **परीक्षा केन्द्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व–** पुनःपरीक्षा हेतु सूचीबद्ध (Mapped) परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केन्द्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाला बजट व्यय स्कूल कंटीन्जेंसी मद से किया जाए।

7. **परीक्षार्थियों को प्रवेशपत्र जारी करना–** दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बी.आर.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए।

8. **परीक्षा परिणामों में त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र–** समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5 व 8 मुख्य परीक्षा संबंधी सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है, जिले में कोई त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है।

9. **अन्य निर्देश–**
   - पुनः परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र पूर्वानुसार ही रहेंगे।
   - पुनःपरीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए।

Digieduportal

- मुख्य परीक्षा (वार्षिक मूल्यांकन) सत्र 2022–23 में प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित परीक्षार्थियों से पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं।
- पूर्व में रा.शि.के. के पत्र क्र. 7580, दिनांक 23.03.2023 द्वारा निर्देश प्रदाय किए गए थे कि– ''दिनांक 05 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है'' इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन पुनःपरीक्षा के पश्चात् किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाईल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन हेतु सुविधा पुनःपरीक्षा के पश्चात् प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालन हेतु प्रयुक्त लॉगईन–पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए। इसकी गोपनीयता बनाई रखी जाए। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है।

अतएव उपरोक्तानुसार पुनःपरीक्षा आयोजन एवं मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– पुनःपरीक्षा समय–सारणी

06/06/2023

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ. क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वा.मूल्या.–पुनःपरीक्षा/2022–23/3846 भोपाल, दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग समस्त म.प्र.।
7. प्राचार्य, डाइट, समस्त म.प्र.।
8. संकुल प्राचार्य, समस्त म.प्र.।
9. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त म.प्र.।
10. बी.आर.सी.सी. समस्त विकासखण्ड, म.प्र.।
11. नियंत्रक/समन्वयक, आई.सी.टी. कक्ष, राशिके की ओर परीक्षा पोर्टल संचालन के संदर्भ में।
11. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड हेतु आई.सी.टी. कक्ष की ओर प्रेषित।

06/06/2023

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

Digieduportal

परिशिष्ट–1

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल

कक्षा 5 व 8 पुनः परीक्षा (वार्षिक मूल्यांकन) कार्यक्रम (TIME TABLE) वर्ष 2022–23

समयः प्रातः 9:00 से 11:30 तक

कक्षा	22.06.2023 (गुरुवार)	23.06.2023 (शुक्रवार)	24.06.2023 (शनिवार)	26.06.2023 (सोमवार)	27.06.2023 (मंगलवार)	28.06.2023 (बुधवार)
5	प्रथम भाषा विशिष्ट (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी)	द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।)	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	पर्यावरण अध्ययन	अतिरिक्त भाषा– सामान्य उर्दू/सामान्य हिन्दी/अन्य	–
8	प्रथम भाषा विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी)	द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।)	गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	विज्ञान	तृतीय भाषा संस्कृत/सामान्य हिन्दी/सामान्य उर्दू/सामान्य मराठी/उड़िया/पंजाबी/अन्य) अथवा चित्रकला (मूक–बधिरों हेतु)	सामाजिक विज्ञान

नोट–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

Digiiduportal